कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : /खनिज–30, बाँदा दिनांक : अप्रैल 21,2018

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमन्त्रण हेतु संशोधित सूचना

शासनादेश संख्या–1875/86–2017–57(सा0)/2017 टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद बांदा के रिक्त 43 बालू/मोरम के खनन क्षेत्रो को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु **विज्ञप्ति सं0–53/खनिज–30, बांदा दिनांक 25.03.2018** जारी की गयी थी। तहसीलदार पैलानी के पत्र सं0–1595(1) दिनांक 19.04.2018 द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में **उक्त विज्ञप्ति दिनांक–25.03.2018 के क्रमांक–27, ब्लाक नं0–27 में उल्लिखित ग्राम–खपटिहा कलां, तहसील पैलानी के गाटा सं0–100 का भाग (खण्ड सं0–04)** को कतिपय कारणो से ई–निविदा सह ई–नीलामी आमन्त्रण हेतु जारी विज्ञप्ति से पृथक किया जाता है। शेष नियम व शर्ते यथावत रहेगी।

(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक : 538(1)/खनिज–30, बांदा तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. **शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0** लिमिटेड, कोर्ट बिल्डिग–II फ्लोर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त क्षेत्र को एम0एस0टी0सी0 के पोटर्ल से पृथक करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, बांदा को दो दैनिक समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
6. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद बांदा को व्यापक प्रसार प्रचार हेतु।
7. प्रभागीय वन अधिकारी जनपद बांदा।
8. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बांदा को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
9. खान अधिकारी, बांदा को क्वैरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), बांदा को वेबसाइट banda.nic.in में अपलोड करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जिला संवाददाता दैनिक हिन्दुस्तान, अमर उजाला व दैनिक जागरण बांदा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समाचार का विज्ञापन न्यूनतम रेट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

21.4.18

(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी, बाँदा।